दिनांक 24.02.2013 को आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के द्वारा दोन क्षेण में की गयी भ्रमण की टिप्पणी :–

1.0 दिनांक 24.02.2013 को श्री के.पी. रमय्या, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के साथ श्रीधर सी०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, श्री अनिमेष कुमार परासर, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के साथ दोन क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उक्त अवसर पर श्री ललन कुमार साह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामनगर, श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी, रामनगर एवं श्री अरूण कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामनगर तथा अजीत कुमार सिंह, रेंजर, हरनाटांड़ उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

2.0 पथों की व्यवस्था :–

(क) वाल्मीकिनगर क्षेत्र से जटाशंकर होते हुए वन क्षेत्र से गुजरते हुए नौरंगिया दोन पहुंचे। यह पूरा रास्ता वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के अधिसूचित क्षेत्र से गुजरता है तथा वर्तमान में इसमें बारहमासी सड़क निर्मित नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र के वन परिरक्षण कार्य के साथ–साथ इस क्षेत्र से गुजरकर जाने वाले ग्रामीणों को आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रहा है। आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा निदेश दिया गया कि पूरी क्षेत्र की पथों की मापी कराकर वन क्षेत्र/गैर वन क्षेत्र की सड़कों की पहचान किया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार कॉज–वे और कलवट का निर्माण करने हेतु स्थलों को चयनित किया जाए। साथ ही वन क्षेत्र में संरचनाओं का सृजन वन विभाग के माध्यम से तथा गैर वन क्षेत्र में संबंधित विभाग से कराने का निदेश दिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल संख्या–2 से तकनीकि प्राक्कलन प्राप्त कर जिला में उपलब्ध विभिन्न मदों के संसाधनों से अथवा वन विभाग अथवा अन्य सरकारी विभाग से आवंटन प्राप्त कर सुविधा सृजित करने का निदेश दिया गया।

(ख) रेंजर, हरनाटांड़, श्री अजीत कुमार सिंह के द्वारा निरीक्षण के दौरान सूचित किया गया है कि गोबरधना से नौरंगिया तक का FRH रोड की लम्बाई निम्न प्रकार है :–

(a.)

Road in Forest Area	
DFO-1	17.2 k.m.
DFO-2	1.4 k.m.
Total	18.6 k.m.

Road in Non Forest Area
7.790 k.m.

(b.)

Causeway
30'- 6 nos
50'- 4 nos
80'- 2 nos
110'- 4 nos
125'- 1 nos
140'- 1 nos
18 nos

Causeway
280'- 2 nos
670' – Kapan Nadi

(c.)

RCC Bridge/Culvert
15'- 1 nos
20'- 2 nos
65'- 1 nos
4 nos

Culvert
10'- 2 nos

(d.)

Retaining Wall	
Total Lengh	300 (at 6 points)

उपरोक्त का तकनीकि प्राक्कलन तैयार कर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल संख्या–1 एवं 2, बेतिया।

(ग) नौरंगिया दोन से रामनगर के डुमरी तक जाने वाले मार्ग पर बारहमासी पथ का विकास करने की आवश्यकता महसूस की गयी। तद्नुसार निरीक्षण के क्रम में उपस्थित श्री अजीत कुमार सिंह, रेंजर, रामनगर को निदेश दिया गया है कि संबंधित पथ की वन/गैर वन क्षेत्र की मापी कराकर बारहमासी आवागमन की सुविधा सृजित करने से संबंधित प्राक्कलन एवं प्रस्ताव जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को उपलब्ध करायेंगे। इस निमित्त तकनीकि सहयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, प्रमंडल संख्या–2, बगहा के सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। इस निमित्त पूर्व में ही जिला पदाधिकारी की ओर से उन्हें आदेशित किया जा चुका है।

अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संख्या, प्रमंडल संख्या–2, बगहा/रेंजर, हरनाटांड़।

3.0 Eco-Hut :–

भ्रमण के दौरान नौरंगिया वन क्षेत्र विश्रामागार के बगल में सीमा क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृति योजना के आलोक में वन विभाग के द्वारा निर्मित दो Eco-Hut के निर्माण की गुणवत्ता संतोषप्रद पाया गया। बी0ए0डी0पी0 मद अंतर्गत Eco-Hut सुसज्जित भी किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि Eco-Hut के स्नानागार में गीजर हेतु व्यवस्था किया गया है परंतु गीजर स्थापित नहीं है। उर्जा परिरक्षण के दृष्टिकोण से सौर–उर्जायुक्त वाटर हीटर की व्यवस्था करने पर विचार करने का निदेश आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिया गया। तद्नुसार वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल संख्या–2 आवश्यक अधियाचना जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को उपलब्ध करायेंगे। Eco-Hut के परिसर में एक पुराना चापाकल पाया गया जिसकी मरम्मति कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल संख्या–2 मरम्मति सुनिश्चित करेंगे। Eco-Hut के परिसर में Ornamental Gardening कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल संख्या–2

4. नौरंगिया थाना :–

क्षेत्र भ्रमण के क्रम में नौरंगिया थाना का भ्रमण किया गया है। निरीक्षण के समय थानाध्यक्ष राजेश रंजन उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान नौरंगिया थाना में चहारदीवारी निर्मित पाया गया। पूर्व से वाच टावर निर्मित है परंतु पलास्टरिंग के पश्चात् रंगरोगन नहीं किया गया है। वर्तमान में थाना भवन पूर्व से निर्मित भवन जो वर्ष 2010–11 की योजना के अंतर्गत निर्मित था में चल रहा है। भवन की स्थिति संतोषप्रद है। निरीक्षण के क्रम में पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि भवन में पानी चूने की कोई समस्या नहीं है।

4.1 जवानों की उपलब्धता :–

निरीक्षण के समय बी0एम0पी0 के 15 एवं सैप के 18 जवान प्रतिनियुक्त पाया गया। थाना परिसर का चहारदीवारी निर्मित है एवं सुरक्षित है।

4.2 बिजली/रोशनी की व्यवस्था :–

रोशनी की सुविधा हेतु पुलिस विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया जेनरेटर सेट उपलब्ध है, जो कार्यरत स्थिति में पाया गया। निरीक्षण के समय वायरलेस संचालित पाया गया। वायरलेस वर्तमान में बैट्री पर कार्यरत है। निरीक्षण के दौरान पूर्व में बी0ए0डी0पी0 योजना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये पावर पैक के सभी बैट्री खराब पाया गया है जिसको बदलने हेतु पूर्व में पुलिस अधीक्षक, बगहा द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु आदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया गया था। जिला योजना पदाधिकारी खराब बैट्री को बदलने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।

थाना परिसर में रोशनी की विशेष व्यवस्था अलग से नहीं है। थानाध्यक्ष को सूचना दी गयी है कि बी0ए0डी0पी0 योजना अंतर्गत प्रत्येक थाना में दो सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित करने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। अतः वे उक्त के आलोक में कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। यदि एक माह के अंदर अधिष्ठापन का कार्य नहीं होता है तो पुलिस अधीक्षक, बगहा के माध्यम से प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

4.3 पेयजल की व्यवस्था :–

परिसर में चार चापाकल उपलब्ध है। सभी चापाकल कार्यरत पाया गया।

4.4 शौचालय की व्यवस्था :–

पूर्व से निर्मित दो अलग–अलग यूनिट में शौचालय कार्यरत स्थिति में पाया गया जिसमें एक पंचायत के द्वादस वित्त आयोग से प्राप्त राशि से पंचायत के द्वारा निर्मित कराया गया है।

4.5 हाजत की व्यवस्था :–

उल्लेखनीय है कि निरीक्षण के क्रम में थाना में कोई हाजत की व्यवस्था नहीं पाया गया। इस संबंध में हाजत की व्यवस्था नए निर्माणाधीन नक्सल थाना भवन में किए जाने की सूचना दी गयी है।

4.6 भवन :–

(क) निरीक्षण के क्रम में थाना के परिसर में मॉडल नक्सल थाना भवन का निर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया पाया गया। भवन की भूमि तल ढलाई हेतु सेंटरिंग कर एक वर्ष से उसी

स्थिति में छोड़ा गया बताया गया। निरीक्षण के समय संवेदक का मुंशी उपस्थित थे जिन्हें त्वरित गति से निर्माण कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी गयी। पुलिस अधीक्षक, बगहा निगम से पत्राचार कर भवन निर्माण कार्य त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– पुलिस अधीक्षक, बगहा।

(ख) थाना परिसर में एक निर्माणाधीन बैरक अधूरा पाया गया। छत ढलाई एवं पलास्टरिंग कार्य करने के पश्चात् फर्श बनाने, खिड़की, केबाड़ी लगाने, शौचालय एवं रंगरोगन का कार्य अवशेष है। थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि काफी समय से संवेदक कार्य नहीं करा रहे हैं। भवन को देखने से स्पष्ट है कि यह सीमा क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत थाना में सुविधा विकास हेतु स्वीकृत किया गया डिजाइन है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल संख्या–2, बगहा कार्यकारी एजेंसी है। जिला योजना पदाधिकारी कार्यकारी एजेंसी को नोटिस निर्गत कर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। 30 दिन के अंदर कार्य पूर्ण नहीं करने पर थानाध्यक्ष स्वयं संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, बगहा को प्रेषित करेंगे।

अनुपालन :– जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल संख्या–2, बगहा।

(ग) थाना भवन के पीछे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से निर्मित बिक्री–सह–प्रदर्शनी केन्द्र भी जवानों के उपयोग में पाया गया।

4.7 विधि व्यवस्था :–

थानाध्यक्ष के द्वारा विधि–व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताया गया तथा विगत दो वर्षों में कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं घटने की जानकारी दी गयी।

5.0 पंचायत सरकार भवन, नौरंगिया :–

नौरंगिया थाना के सामने अवस्थित सरकारी जमीन पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बगहा के माध्यम से कराया गया है। भवन लगभग पूर्ण है। भवन के अंदर फिनिसिंग हेतु थोड़ा कार्य बचा हुआ है, बताया गया। संवेदक स्थल पर अनुपलब्ध रहने के कारण तथा चाभी अनुपलब्ध रहने के कारण भवन के अंदर का भ्रमण नहीं किया जा सका। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे स्वयं अनुश्रवण कर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वर्तमान में छोटे भवन में चल रहे पंचायत कार्यालय को इस भवन में एक महीने के अंदर स्थानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामनगर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल संख्या–2, बगहा।

6.0 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, नौरंगिया :–

जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा तथा राज्य सरकार के द्वारा नौरंगिया दोन उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है तथा भवन निर्माण कार्य हेतु राशि का प्रावधान बी0ए0डी0पी0 योजना अंतर्गत किया गया है। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अंचल अधिकारी, रामनगर एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा पंचायत सरकार भवन के परिसर से नजदीक उपलब्ध सरकारी जमीन, जो खाली

है को भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षणोपरांत स्थल को उपयुक्त पाते हुए निर्माण कार्य हेतु अनुमति दिया गया। साथ ही भवन की स्वीकृति देते हुए अविलम्ब कार्य प्रारंभ करने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को दिया गया। जब तक नया भवन नहीं बन जाता तब तक नव निर्मित पंचायत सरकार भवन में एक कमरा स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु चिन्हित कर संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामनगर सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/प्रभारी चिकित्सा पदा0, रामनगर।

7.0 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेरवा दोन :–

भ्रमण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि सेरवा दोन में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बी0ए0डी0पी0 अंतर्गत प्रस्तावित है जिसके लिए जमीन चयन कर अंचल अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए निविदा के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को दिया गया।

अनुपालन :– जिला योजना पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।

8.0 दोन क्षेत्र में कटाव की समस्या :–

(क) क्षेत्र भ्रमण के दौरान गोबरहिया गांव के पास भलुई नदी के द्वारा कटाव तथा भलुई नदी में आए बाढ़ से गांव में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न करने के संबंध में ग्रामीण जनता के द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि भलुई नदी के गर्भ में बालू पूर्ण रूप से जमा हो जाने के कारण बरसात के मौसम में नदी के गर्भ से पानी बाहर फैल जाता है जिसके कारण गांव में जल जमाव की स्थिति उत्पनन हो जा रही है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित रेंजर के द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र बफर जोन में रहने के कारण बालू के खनन पर पूर्ण रूप से रोक है। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि दोन नहर प्रमंडल के द्वारा फलड प्रोटक्शन हेतु निविदा आमंत्रित किया जा चुका है तथा संवेदक का चयन किया गया है, परंतु निरीक्षण के समय संवेदक के द्वारा किसी प्रकार की सामग्री को कार्य स्थल पर एकत्रित नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर व्यक्तिगत रूप से कार्य का निरीक्षण करते हुए बरसात के मौसम से पूर्व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण करायेंगे।

अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।

(ख) इस क्षेत्र में भलुई नदी से दायब दोन एवं जोगह्नी गांव तथा खुदी नदी से मंजुराहा दोन गांव एवं अन्य गांवों में भी तेजी से कटाव किये जाने के कारण विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

(ग) अंचल अधिकारी, रामनगर के द्वारा सूचित किया गया कि नौरंगिया में 145 परिवारों, जो कटाव से विस्थापित है, को सरकारी जमीन पर बसाने हेतु जमीन चयन किया गया है तथा मापी कराकर बंदोबस्ती कार्य पूर्ण कर 15 दिन के अंदर दखल कब्जा दिया जायेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य का अनुश्रवण कर समय सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– अंचल अधिकारी, रामनगर/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा।

(घ) निरीक्षण के क्रम में स्पष्ट हुआ कि नदी की धारा को अविरल रूप से प्रवाह के लिए चैनल नहीं रहने के कारण बरसात के मौसम में गांव के अंदर पानी फैल रहा है। अतः मनरेगा योजना के अंतर्गत नदी के चैनल की सफाई करने के संबंध में वन विभाग की देखरेख में चैनल की सफाई करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश उपस्थित रेंजर तथा मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर को संयुक्त रूप से दिया गया।

अनुपालन :– रेंजर, हरनाटांड़/कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर।

9.0 विद्यालय निरीक्षण :–

(क) भ्रमण के दौरान राजकीयकृत मध्य विद्यालय, गोबरहिया दोन का भ्रमण किया गया। 6 कमरे का पूर्ण रूप से निर्मित भवन में मुख्य रूप से विद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त दो कमरे का पुराने अर्द्धनिर्मित भवन खाली पड़ा हुआ है। दो कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष छत ढलाई पूर्ण कर फिनिसिंग हेतु लंबित है। इस संबंध में बताया गया कि यह भवन द्वितीय किस्त की राशि विमुक्ति नहीं होने के कारण लंबित है। दो कमरे का पुराना अर्द्धनिर्मित भवन कई साल से उसी तरह पड़े रहने के कारण ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गयी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान इसकी छानबीन कर राशि की विमुक्ति एवं अब तक किए गए निर्माण के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे एवं पूर्ण निर्माण सुनिश्चित करायेंगे।

अनुपालन :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बेतिया/प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, गोबरहिया दोन।

(ख) विद्यालय परिसर में सी0आर0सी0 भवन निर्मित है। किचन शेड निर्मित पाया गया। एक पुराना आंगनबाड़ी केन्द्र भवन जो पुराना है अर्द्धनिर्मित पड़ा हुआ बताया गया। विद्यालय के परिसर में पेयजल की सुविधा हेतु 3 चापाकल उपलब्ध है। तीनों चापाकल एक ही किनारे अवस्थित है जिसमें दो खराब हालत में है जिसकी मरम्मति विद्यालय रख–रखाव अनुदान अंतर्गत करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बेतिया।

(ग) परिसर में दो अलग--अलग सेट में शौचालय निर्मित पाया गया है, जिसमें एक का रंगरोगन बाकी है। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि मध्याह्न भोजन संचालित है। मुख्य रूप से शिक्षकों की कमी और पदस्थापित शिक्षकों द्वारा विद्यालय नहीं आने की शिकायत की गयी है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि कतिपय शिक्षक जो यहां पदस्थापित हैं, मूल रूप से दोन क्षेत्र के बाहर के निवासी हैं। इन शिक्षकों में कतिपय महिला शिक्षक हैं, जो दोन के बाहर के रहने वाले हैं एवं नियमित विद्यालय नहीं आते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया कि दोन क्षेत्र के जो स्थानीय शिक्षक चयनित हुए हैं उन्हें स्थानीय विद्यालय में पदस्थापित करने पर शिक्षकों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जा सकेगा एवं शत–प्रतिशत शैक्षणिक माहौल स्थापित होने की संभावना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानीय शिक्षकों की तैनाती हेतु प्रावधानों का अध्ययन कर अग्रेत्तर कार्रवाई वरीय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।

(घ) जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के द्वारा पूर्व में भ्रमण के समय नव निर्मित उच्च विद्यालय भवन का फर्श और बोर्ड टूटा हुआ पाया गया था। संवेदक को मरम्मति का निदेश दिया गया था। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया इसे सुनिश्चित करेंगे। विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, बेतिया।

10.0 ग्रामीण सड़क :–

नौरंगिया पंचायत के विभिन्न मोहल्लों में पैदल चल कर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कतिपय मोहल्लों में नाली का निर्माण किया गया है परंतु पंचायत के अंदर एक भी गली में पक्का पथ का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक वर्ष पंचायत को उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रकार के राशि में से पथ निर्माण कराने का प्रावधान है। कतिपय स्थानों पर निर्मित नाला का समुचित सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी बाहर प्रवाह होने की स्थिति उत्पन्न हुआ। निरीक्षण के समय उपस्थित श्रीमति ऋचा देवी, मुखिया को निदेशित किया गया कि पी0सी0सी0 पथों का निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करायें तथा तत्संबंधी प्राक्कलन को पंचायत के मद से कार्यान्वित कराते हुए जिन पथों को पूर्ण कराने हेतु बी0आर0जी0एफ0 या अन्य मदों से राशि पंचायत में उपलब्ध नहीं है उन प्राक्कलनों को बी0ए0डी0पी0/आई0टी0डी0ए0 योजना अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायें। जिला योजना पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण पथों का प्राक्कलन तैयार कराकर पथों के निर्माण की दिशा में कार्रवाई करेंगे। यह बताया गया कि एक पथ का निर्माण बी0आर0जी0एफ0 से कराने हेतु चयनित किया गया जिसका प्राक्कलन तैयार कराया गया है।

अनुपालन :– जिला योजना पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आई0टी0डी0ए0।

11.0 पंचायतों की प्रगति की समीक्षा :–

भ्रमण कार्यक्रम के पश्चात् नौरंगिया पंचायत के पंचायत भवन पर दोन क्षेत्र के 2 पंचायत यथा नौरंगिया एवं बनकटवा करमहिलया के पंचायतवार योजनाओं के कार्यान्वयक की विस्तृत समीक्षा किया गया है। समीक्षा के क्रम में पंचायतों के मुखियागण, दोनों पंचायत के पंचायत सेवक श्री मुरली मनोहर प्रसाद एवं राजस्व कर्मचारी श्री सहदेव महतों तथा पंचायत के पंचायत मित्र, वार्ड सदस्यगण तथा स्थानीय जनता उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में निम्नांकित बिंदु स्पष्ट हुए :–

क्र	विषय	नौरंगिया पंचायत	बनकटवा करमहिया पं0	अभ्युक्ति
1	शिक्षा	प्राथमिक विद्यालय –7 मध्य विद्यालय –3 टेन प्लस टू –1	– 8 – 3 – 1	सभी विद्यालय का अपना भवन है। टेन प्लस टू में शिक्षकों के अभाव के कारण पढ़ाई बाधित।
2.	आंगनबाड़ी केन्द्र	संचालित –9 भवन युक्त –5 भवनहीन –4 जमीन उपलब्ध –	– 10 – 10 – 0	नौरंगिया के भवनहीन 4 आंगनबाड़ी केन्द्रों को जमीन खोजकर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3.	स्वास्थ्य	HSC - चयनित, भवनहीन	–	
4.	13वें वित्त	आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। 3,65,000 रू0 अवशेष।	व्यय किया गया	निर्माण कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रेषित करें।

		भुगतान लंबित		
5.	BRGF	PCC सड़क निर्माण हेतु चयनित है। प्राक्कलन तैयार है।	नाली का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया।	मार्गदर्शिका के अनुरूप योजनाओं का चयन करते हुए निर्माण पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रेषित करें।
6.	चतुर्थ वित्त	5,31,931 रू0 प्राप्त है। योजना चयनित नहीं है।	राशि अवशेष है। राशि से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में चापाकल सुविधा प्रदान करने की योजना है।	
7.	JE/AE की संबद्धता	संबद्ध नहीं है।	संबद्ध नहीं है।	संबद्ध नहीं होने के कारण मापी एवं भुगतान प्रभावित। उप विकास आयुक्त संबद्धता सुनिश्चित करेंगे।
8.	बैंक द्वारा वित्त पोषण 1. KCC	40	– 35	UBGB रामनगर को आवेदन भेजा गया। एक भी स्वीकृत नहीं किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रामनगर द्वारा बताया गया कि अस्वीकृत करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। वरीय उपसमाहर्ता, बैंकिंग लीड बैंक मैनेजर से सम्पर्क कर 10 दिन के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
	2.BIGWIS	6 आवेदन भेजे गये	– 5 आवेदन भेजे गये	
9.	कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र का वितरण	16 बोरबेल एवं पम्पिंग सेट तथा 01 स्प्रींकलर अनुदानित दर पर पंचायत में वितरण किया गया। स्प्रींकलर लगाया जाना है।		प्रखंड कृषि पदाधिकारी क्षेत्र में एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषि कार्य से संबंधित प्रशिक्षण/प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
10.	शिक्षक संबंधी समस्या	1. छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या में कमी। 2. शिक्षकों की अनुपस्थिति।		जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान नियमित अनुश्रवण कर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
11.	बैंकिंग सुविधा	दोनों पंचायत के ग्राहकों को उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रामनगर जो करीब 22 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है, में जाना पड़ता है।		वरीय उपसमाहर्ता, बैंकिंग बिजनेस कोरेसपोनडेंट की चयन की सूचनाएं प्राप्त कर इस क्षेत्र में उनके माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने सं संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
12.	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृति वितरण नहीं किया गया।		जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा अतिरिक्त आवंटन की मांग की गयी है। स्मार निर्गत कर आवंटन प्राप्त कर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

नोट :– बैठक के क्रम में प्राप्त विभिन्न प्रकार के लिखित शिकायत अनुलग्नक में संलग्न है।

12.0 इंदिरा आवास :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दोन क्षेत्र के दोनों पंचायतों में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि की तुलना में काफी कम संख्या में आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। उपस्थित मुखियागण तथा पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि सामाजिक जागरूकता तथा स्थानीय प्रयास के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रेरित कर निर्माण सुनिश्चित करें। साथ ही प्रति आवास के साथ निश्चित रूप में शौचालय का निर्माण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण।

13.0 सरकारी योजनाओं के संबंध में प्रचार–प्रसार :–

क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि पूरे क्षेत्र में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के द्वारा कार्यान्वित तथा समेकित थरूहट विकास अभिकरण के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का प्रचार–प्रसार की कोई भी

सामग्री प्रदर्शित नहीं है। मनरेगा योजना अंतर्गत दीवार लेखन का निदेश पूर्व में दिया गया था का परंतु भ्रमण के क्रम में कहीं भी दीवार लेखन नहीं देखा गया। मुखिया तथा पंचायत रोजगार सेवक इसे सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आई0टी0डी0ए0।

14.0 नोडल पदाधिकारी :–

दोन क्षेत्र के समस्याओं के निदान के लिए श्री रामशंकर, प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण (मो0 नं0 9931041105) को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। उपरोक्त निदेश के अनुपालन का अनुश्रवण तथा तत्संबंधित प्रतिवेदनों का प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक .... /गो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, रामनगर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामनगर/थानाध्यक्ष, नौरंगिया थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– रेंजर, हरनाटांड़ वन क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री रामशंकर, प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण–सह–नोडल पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन/जिला शिक्षा पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता, बैंकिंग/लीड बैंक मैनेजर, बेतिया/क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेतिया/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/वरीय प्रभारी, रामनगर प्रखंड/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बेतिया/जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बगहा/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, प्रमंडल संख्या–2, बगहा/कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बेतिया/जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा/प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, गोबरहिया दोन, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल संख्या–1 सवं 1, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक .... / गो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा एवं प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।